भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1880

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

क्लस्टर विकास कार्यक्रम

1880. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में होजरी और रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के लिए एक सामान्य सुविधा केंद्र को वर्ष 2021 में मंजूरी दी गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और सरकार द्वारा अब तक जारी अनुदान और परियोजना की भौतिक प्रगति की स्थिति क्या है;

(ग) क्या परियोजना के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा मार्च, 2025 थी; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना के पूरा होने में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): जी हां। सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के तहत, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल 8.2298 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में होजरी एवं रेडिमेड गार्मेंट्स क्लस्टर में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। अभी तक, भारत सरकार द्वारा जारी कुल अनुदान 4.03256 करोड़ रुपए है। परियोजना की वास्तविक प्रगति 57.92% तक पहुंच चुकी है।

(ग) और (घ): राज्य सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना अनुमोदन समिति (एनपीएसी) की दिनांक 11.08.2025 की बैठक में, परियोजना को मार्च, 2026 तक पूरा करने के लिए समय-सीमा में विस्तार करने का अनुरोध किया, जिसकी पुष्टि दिनांक 21.08.2025 को हुई थी। राज्य द्वारा बताए गए विलम्ब के कारणों में निविदाओं और खरीद की प्रक्रियाओं में देरी सहित कोविड-19 महामारी के प्रभाव भी शामिल हैं।

*****